



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

क्रमांक—प्रशा./वि.स.सत्र/2025/706

दिनांक 25.07.2025

“आदेश”

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 1207/2626996/2025/38-2 भोपाल दिनांक 07.07.2025 के अनुसार विधान सभा सत्र दिनांक 28 जुलाई, 2025 से 08 अगस्त, 2025 तक आहूत किया गया है ।

विधानसभा के प्राप्त प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में प्रेषित करने के लिये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के समस्त विभागाध्यक्षों, अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं कर्मचारीगण विधान सभा सत्र दिनांक 28 जुलाई, 2025 से 08 अगस्त, 2025 तक की अवधि में कार्य स्थल एवं मुख्यालय में निरंतर उपस्थित रहें जिससे कि विधान सभा की जानकारी नियत समय पर प्रेषित की जा सके।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों, अधिकारीगणों, शिक्षकगणों एवं कर्मचारीगणों को सूचित किया जाता है, कि उक्त अवधि में सक्षम अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़े।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

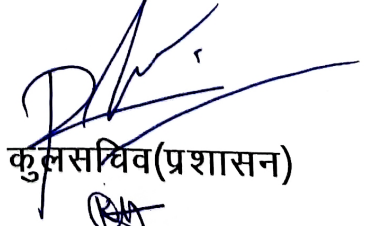

कुलसचिव

पृ. क्रमांक—प्रशा./वि.स. सत्र/2025/706

दिनांक 25.07.2025

प्रतिलिपि :-

1. विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/विभाग प्रमुख, समस्त अध्ययनशाला/संस्थान/तक्षशिला परिसर, खंडवा रोड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत।
2. समस्त अधिकारीगण, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, नालन्दा परिसर इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत।
3. कुलगुरु के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक की ओर सूचनार्थ प्रस्तुत।
4. विभागाध्यक्ष, आय.टी.सेन्टर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।


उप कुलसचिव(प्रशासन)

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक: 1207 / 2626996/2025/38-2

भोपाल, दिनांक 07/07/2025

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त रजिस्ट्रार,
परम्परागत विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।
3. समस्त प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

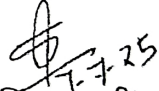


DRAdm

विषय:- विधान सभा सत्र दिनांक 28 जुलाई से 08 अगस्त, 2025 तक के दौरान मुख्यालय न छोड़ने के संबंध में।

---0---

विषयांतर्गत आगामी मध्यप्रदेश विधान सभा सत्र दिनांक 28 जुलाई से 08 अगस्त, 2025 तक आहूत किया गया है। निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा में विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में प्रेषित करने के लिए समस्त जानकारी के साथ निरंतर कार्य स्थल के मुख्यालय पर उपस्थित रहें, एवं उक्त अवधि में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़ें।

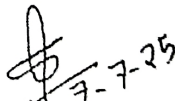

(वीरन सिंह भेलावी)
अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग
भोपाल, दिनांक 07/07/2025

क्रमांक: 1208 / 2626996/2025/38-2

प्रतिलिपि:-

1. निज़ सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आई.टी.प्रभारी कृपया वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।


अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग